न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—38/2020 (2020/00112) वादपत्र

अनवान

1. भागु आत्मज भुरा बलाई निवासी भींटा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. डालचन्द आत्मज भुरा बलाई निवासी भींटा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. जयराम आत्मज भुरा बलाई निवासी भींटा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. बड़ौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा रायपुर जरिये शाखा प्रबन्धक
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतीवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अधिवक्ता वादीगण

1. फारूख मोहम्मद—

दिनांक 21.10.2020

निर्णय

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के पुर्व आदेश दिनांक 02.09.2020 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम भींटा पटवार हल्का भींटा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादीगण एंव प्रतिवादीगण की शामलाती खातेदारी कृषि आराजी संख्या 509 रकबा 0.66 है0, आराजी संख्या 510 रकबा 0.85 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.51 है0 भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्से का बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर विधिवत रूप से विभाजन करवा स्वंत्रत राजस्व खाता रेवेन्यु रेकार्ड मे खोल जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एव तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 13.10.2020 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया तथा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया और वादी अधिवक्ता को प्रस्ताव अवलोकन कराया जिस पर वादी अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। उपरोक्त विवरण अनुसार प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम भींटा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे प्रस्तावित आराजी संख्या 509/2 रकबा 0.49 है0 भूमि भागु पिता भुरा बलाई सा. देह खातेदार रहन बदस्तुर जमाबन्दी तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 509/3 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 510/2 रकबा 0.34 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.49 है0 भूमि जयराम पिता भुरा बलाई सा. देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 510/3 रकबा 0.49 है0 भूमि डालचन्द पिता भुरा बलाई सा. देह खातेदार रहन बदस्तुर जमाबन्दी तथा आराजी नम्बर 509/1 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 510/1 रकबा 0.02 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.04 है0 शामलामी बदस्तुर रखते हुए रेकार्ड कायम किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21.10.2020

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.12.19 17:30:47 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–38 / 2020 (2020 / 00112) वादपत्र

अनवान

1. भागु आत्मज भुरा बलाई निवासी भींटा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. डालचन्द आत्मज भुरा बलाई निवासी भींटा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. जयराम आत्मज भुरा बलाई निवासी भींटा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा रायपुर जरिये शाखा प्रबन्धक
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतीवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादीगण के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम भींटा तहसील, रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे प्रस्तावित आराजी संख्या 509 / 2 रकबा 0.49 है0 भूमि भागु पिता भुरा बलाई सा. देह खातेदार रहन बदस्तुर जमाबन्दी तथा प्रस्तावित आराजी संख्या 509 / 3 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 510 / 2 रकबा 0.34 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.49 है0 भूमि जयराम पिता भुरा बलाई सा. देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 510 / 3 रकबा 0.49 है0 भूमि डालचन्द पिता भुरा बलाई सा. देह खातेदार रहन बदस्तुर जमाबन्दी तथा आराजी नम्बर 509 / 1 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 510 / 1 रकबा 0.02 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.04 है0 शामलामी बदस्तुर रखते हुए रेकार्ड कायम किया जावे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 21.10.2020 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

21.10.2020
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.12.19 17:30:47 IST
Reason: SelfAttested